न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या– 04 / 2023

बउनवान

1. कोमल किशोर पुत्र बृज बेवा बद्रीलाल
2. लाड़ बाई पुत्री बृज बेवा बद्रीलाल
3. मंजू बाई पुत्री बृज बेवा बद्रीलाल, जातिगण बैरागी, निवासीगण मांगरोल तहसील व जिला बारां (राज0)
4. नन्दकिशोर पुत्र पूरणचन्द, जाति बैरागी निवासी पशु चिकित्सालय के पीछे मांगरोल जिला बारां (राज0)

(प्रार्थीगण)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल, तहसील मांगरोल जिला बारां (अप्रार्थी)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी.

उपस्थिति :– 1.श्री बाबूलाल जैन अभिभाषक (प्रार्थीगण)
2. पेरोकार सरकार (अप्रार्थी)

आदेश दिनांक– 22.05.2024

प्रार्थीगण ने जर्ये अभिभाषक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि ग्राम मांगरोल, तहसील मांगरोल सिलिंग भूमि खसरा नंबर 11 रकबा 1.33 है0 बृज बेवा बद्रीलाल कौम वैष्णव को सिलिंग से आवंटन हुई थी तथा गैर खातेदारी में दर्ज हो गई थी। जो सम्वत् 2065 से 2068 की जमाबंदी में दर्ज है। किन्तु जिला कलक्टर, बारां के प्रकरण संख्या 27 / 2008 बउनवान जुगराज बनाम श्रीमति बृज बाई निर्णय दिनांक 12.10.2009 से पुनः आवंटन निरस्त करके इंतकाल नंबर 300 से निरस्तीकरण का नोट अंकित कर दिया गया। इस निर्णय के विरूद्ध बृज बाई बेवा बद्रीलाल ने एक निगरानी राजस्व मण्डल अजमेर में की जो निगरानी एल.आर. 8649 / 2009 जिला बारां बृजबाई बनाम जुगराज पर दर्ज हुई जिसका निर्णय राजस्व मण्डल अजमेर ने दिनांक 16.08.2018 को किया। जिसमें राजस्व मण्डल अजमेर ने यह आदेश पारित किया था, कि तहसीलदार मांगरोल द्वारा स्वीकृत नामांतकरण संख्या 300 में जिला कलक्टर, बारां ने अपील में तहसीलदार मांगरोल को उपरोक्त तथ्यों की विस्तृत रूप से विवेचना एवं विश्लेषण करते हुये प्रकरण तहसीलदार मांगरोल को निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नही होती है। इस कारण निगरानी खारिज करते हुये यही लिखा था कि जिला कलक्टर, बारां ने नामांतकरण संख्या 300 की अपील में जो तथ्य दिये है, उनकी जांच करने के बाद ही पत्रावली आगे प्रेषित की जावें। इसी प्रकरण में जिला कलक्टर, बारां ने प्रकरण संख्या 10 / 2005 में दिनांक 29.03.2006 को जुगराज बनाम श्रीमती बृज में यह निर्णय दिया था कि श्रीमती बृज का आवंटन दिनांक 28.06.1981 निष्प्रभावी घोषित कर दिया था, क्योंकि उसके पास मांगरोल के अलावा ग्राम ढोटी तह[illegible]के बाबत भी स्पष्टीकरण मांगा था। न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के निर्णय [illegible]03.2006 के विरूद्ध एक अपील श्रीमती बृज द्वारा न्यायालय भू प्रबंध अधि[illegible]टा में की गई। जिसका निर्णय अपील संख्या 141 / 2006 पर दिनांक 27.04[illegible] को आया। जिसमें राजस्व अपील अधिकारी ने 5 बिन्दू तय करते हुये तहसीलदार मांगरोल को निर्देश दिये कि इन 5 तथ्[illegible]जांच

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.06.19 12:32:33 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

रिपोर्ट मिजवाई जावें व अपील आंशिक रूप से स्वीकार की थी एवं जिला कलक्टर बारां का निर्णय दिनांक 29.03.2006 को निरस्त कर दिया था। एक अपील श्रीमती बृज द्वारा 6005/2008 राजस्व मण्डल अजमेर में की गई, जिसका निर्णय दिनांक 16.08.2018 को आया, जो राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 27.07.2007 के खिलाफ की गई थी। उसको भी राजस्व मण्डल ने यह कहकर खारिज किया था कि न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी कोटा ने जो 5 बिन्दू कायम करके जिला कलक्टर, बारां को प्रकरण प्रेषित किया है, उनकी जांच आवश्यक है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर श्रीमान जिला कलक्टर, बारां ने प्रकरण संख्या 2/2019 जुगराज मीणा बनाम श्रीमती बृज निर्णय दिनांक 03.01.2023 से निर्णय दिया है। जिसमें श्रीमती बृज के फौत हो जाने कारण उसके वारिसान जो प्रार्थीगण है, उनके नाम दर्ज करवाते हुये यह निर्देश दिये है कि दिनांक 28.06.1981 को ग्राम मांगरोल की खसरा नंबर 7 रकबा 10 बीघा भूमि बृज बेवा बद्रीलाल बैरागी को आवंटन की थी, वह आवंटन की पात्रता रखती थी तथा पूर्व में उसका आवंटन जो जुगराज की शिकायत पर निरस्त किया गया था वह जुगराज का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 17 (4) राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा अधिरोपण नियम 1973 खारिज किया जाता है। इस प्रकार श्रीमती बृज का आवंटन बहाल हो गया है। चूंकि वर्तमान जमांबदी में यह भूमि वापस सिवायचक दर्ज है, जो श्रीमती बृज के फौत हो जाने के कारण उसके वारिसान जो प्रार्थीगण है, उनके नाम खातेदारी में दर्ज होती है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम मांगरोल तहसील मांगरोल की खसरा नंबर 11/4687 रकबा 0.77 है. भूमि जो पूर्व में बृज बेवा बद्रीलाल कौम वैष्णव की गैर खातेदारी में दर्ज थी, जो न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के आदेश से इंतकाल नंबर 300 से निरस्तीकरण का नोट अंकित कर दिया था, उसका आवंटन बहाल श्रीमान द्वारा कर दिये जाने से एवं बृज बेवा बद्रीलाल के फौत हो जाने से उसके वारिसान जो प्रार्थीगण है, उनके नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज करने के निर्देश तहसीलदार मांगरोल के नाम जारी करने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए। हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की सुनी।

बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम मांगरोल तहसील मांगरोल की खसरा नंबर 11/4687 रकबा 0.77 है. भूमि जो पूर्व में बृज बेवा बद्रीलाल कौम वैष्णव को आवंटन की जाकर उसकी गैर खातेदारी में दर्ज की गई थी, उसका आवंटन बहाल श्रीमान के प्रकरण संख्या 2/2019 जुगराज मीणा बनाम श्रीमती बृज में पारित निर्णय दिनांक 03.01.2023 द्वारा कर दिया गया है। तथा इस दौरान बृज बेवा बद्रीलाल के फौत हो जाने से उसके वारिसान जो प्रार्थीगण है, उनके नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज करने के निर्देश तहसीलदार मांगरोल के नाम जारी करने का आदेश फरमावें। अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपने कथन के समर्थन में विधि दृष्टांत 2020 DNJ (SC) 434 SUPREME COURT OF INDIA बउनवान बंशीधर शर्मा बनाम राज्य सरकार वगै0 तथा आरआरडी 2019–588 धारा 144 बउनवान लालूराम बनाम लाली वगै. की छायाप्रति पेश की।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने अभिभाषक प्रार्थीगण के कथन का खण्डन करते हुए कथन किया कि वर्तमान राज[illegible]त की किस्म सिवायचक है, जो मांगरोल की जमाबंदी संवत 2073–76 में खाता [illegible] दर्ज है तथा राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजकीय भूमि पर भू आवंट[illegible] खातेदारी में दर्ज की जा सकती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र [illegible] जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.06.19 12:32:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पेरोकार सरकार का यह कथन सही है कि राजकीय भूमि पर किसी का भी खातेदारी अधिकार वाद/अपील के माध्यम से दिया जाना उचित नहीं है, परन्तु यहां यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि आवंटी के पक्ष में खोले गये इंतकाल को न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 27/2008 बउनवान जुगराज बनाम श्रीमति बृज बाई में पारित निर्णय दिनांक 12.10.2009 के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। तथा तत्समय आवंटित आराजी आवंटी के गैर खातेदारी में दर्ज थी। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थीगण वक्त भूमि आवंटन केम्प अपना अभ्यावेदन आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष पेश करें तथा आवंटन सलाहकार समिति प्रार्थीगण के अभ्यावेदन पर बाद जांच विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

आदेश आज दिनांक 22.05.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, बांरा

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.06.19 12:32:33 IST
Reason: SelfAttested